79/10

732

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

263779

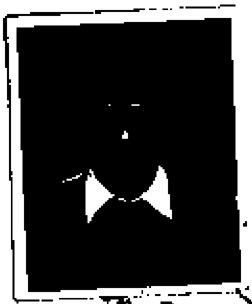

A.TO/T.O.
TRY.LKO.
9 JAN 2010

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या—— 268, 269, 320, 321
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.4343 हेक्टेअर

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

12 JAN 2007
A.T.O/T.O.
TRY.LKO.

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआ / अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 8,04,540 /–
11.	मालियत	:	रू0 5,97,163 /–
12.	स्टाम्प	:	रू0 80,500 /–

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
25000 RUPEES रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

263781

A.T.O/T.O.
TRY.LKO.

चौहद्दी

खसरा न0 268

पूरब	: खसरा संख्या–269
पश्चिम	: खसरा संख्या–264, 265
उत्तर	: खसरा संख्या–267, 326
दक्षिण	: खसरा संख्या–261, 260

खसरा न0 269

पूरब	: खसरा संख्या–270
पश्चिम	: खसरा संख्या–268
उत्तर	: खसरा संख्या–325
दक्षिण	: खसरा संख्या–258

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

263782

<u>खसरा न0 320</u>

पूरब	: खसरा संख्या–322
पश्चिम	: खसरा संख्या–325
उत्तर	: खसरा संख्या–321
दक्षिण	: खसरा संख्या–318, 319

<u>खसरा न0 321</u>

पूरब	: खसरा संख्या–322
पश्चिम	: खसरा संख्या–325
उत्तर	: खसरा संख्या–323
दक्षिण	: खसरा संख्या–320

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 629475

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
सुखलाल पुत्र बली निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	क्रान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख सुखलाल पुत्र बली निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 629476

9 JAN 2001

आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् क्रान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–268 रकबा 0.658 हेक्टेअर, खसरा संख्या–269 रकबा 0.506 हेक्टेअर, खसरा संख्या–320 रकबा 0.079 हेक्टेअर, खसरा संख्या–321 रकबा 0.060 हेक्टेअर, इस प्रकार चार किता व रकबा 1.303 का 1/3 भाग अर्थात 0.4343 हेक्टेअर, [redacted].

क्रान्ति कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 629477

[illegible] हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00270 व 00271 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 629478

सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

12 JAN 2007
A.T.O/T.O.
TRY.LKO.

का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएवउपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 **8,04,540/–** (रूपया आठ लाख चार हजार पाँच सौ चालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका

कान्ति कुमार

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

12 JAN 2007
A.T.O/T.O.
TRY.LKO

विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व

अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.4343 हेक्टेअर की मालियत रू0

कान्तिकुमार

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 8,04,540/- (रूपया आठ लाख चार हजार पाँच सौ चालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः 404860, 404861 दिनांकित 20.01.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 8,04,540/- (रूपया आठ लाख चार हजार पाँच सौ चालिस मात्र) विक्रेता ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या–6 की अन्तिम पंक्ति में 0.4343 हेक्टेअर के बाद समस्त शब्द कटे हुए हैं व पृष्ठ संख्या–7 की प्रथम पंक्ति कटी हुई है।

लखनऊ
दिनांक: 22.01.2007

गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 737 Year : 2007 Book No. 1

0101 सुखलाल

बली

ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तह.व जि-लखनऊ

कृषि

5,97,163/– होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 80,500/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या–268 रकबा 0.658 हेक्टेअर, खसरा संख्या–269 रकबा 0.506 हेक्टेअर, खसरा संख्या–320 रकबा 0.079 हेक्टेअर, खसरा संख्या–321 रकबा 0.060 हेक्टेअर, इस प्रकार चार किता व रकबा 1.303 का 1/3 भाग अर्थात 0.4343 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ.।

कार्तिककुमार

विक्रय पत्र

804,540.00/	598,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सुखलाल
पुत्र / पत्नी श्री बली
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तह.व जि-लखनऊ
अस्थायी पता

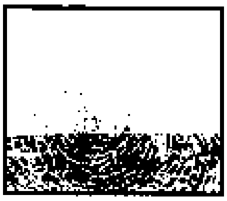

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 22/1/2007 समय 6:35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
22/1/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती सुखलाल
पुत्र/पत्नी श्री बली
पेशा कृषि
निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तह.व जि-लखनऊ

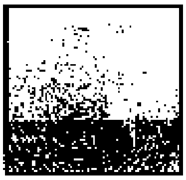

क्रेता
श्री/श्रीमती क्रान्ती कुमार रावत
पुत्र/पत्नी श्री लक्ष्मी प्रसादी रावत
पेशा कृषि
निवासी ग्राम रतियामऊ गोसाईगंज लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री अमर नाथ
पुत्र श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
पेशा नौकरी
निवासी 18 एम एम लखनऊ
व श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री लक्ष्मी
पेशा व्यापार
निवासी बनियामऊ अर्जुनगंज लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
22/1/2007

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:– भुखलाल पु बाली नि इमनपुर खेबली परगना बिजनौर जनपद लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

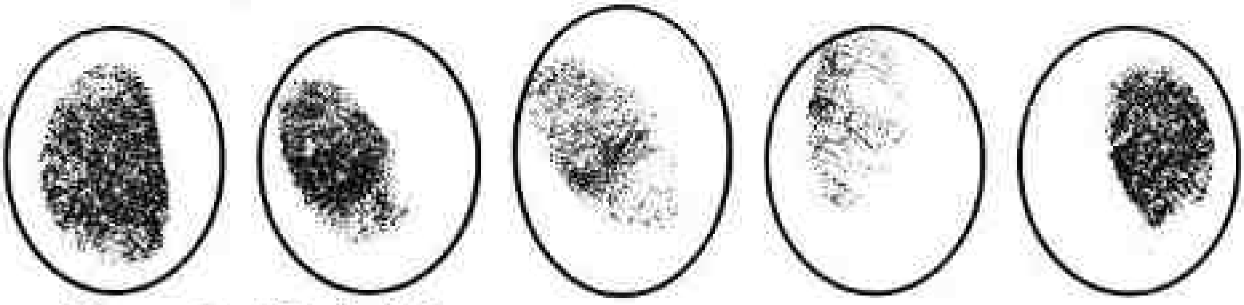

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

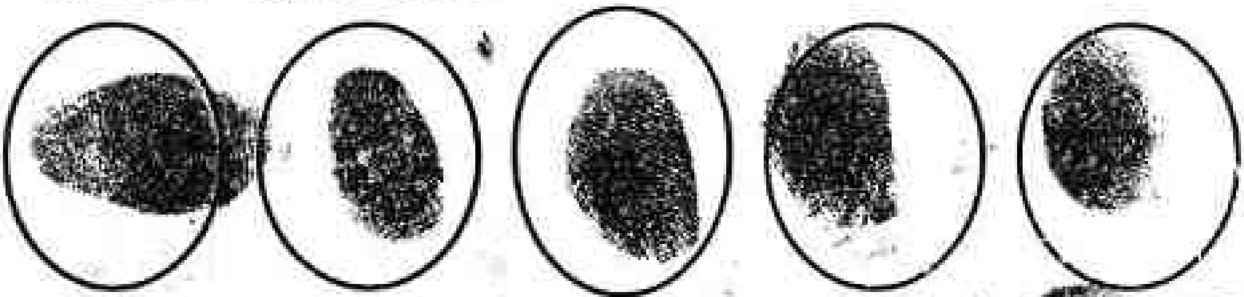

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– क्रान्ती पु लक्ष्मी रावत निवासी ग्राम अतिभामऊ गोसाईगंज लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

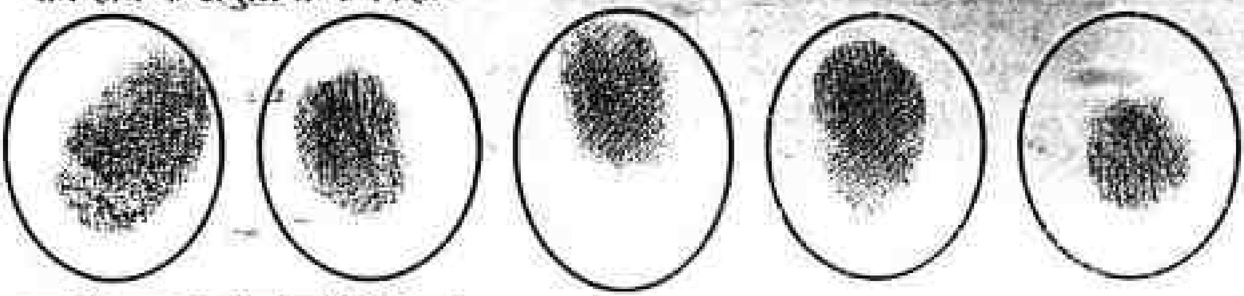

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

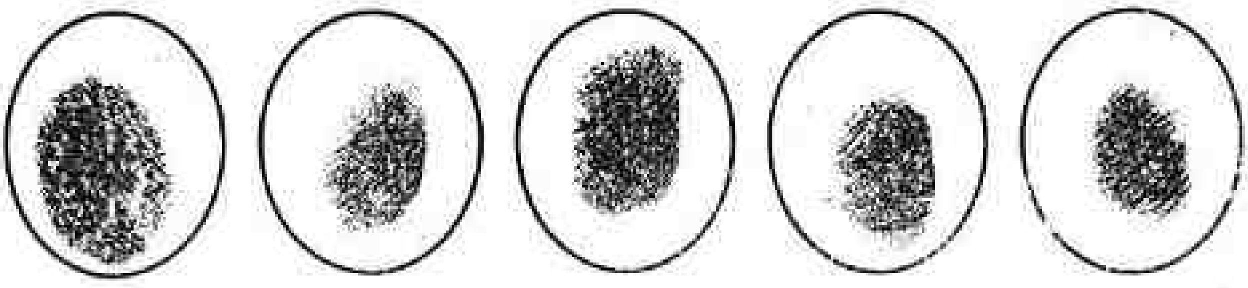

क्रान्तिकुमार

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 737 Year : 2007 Book No. 1

0201 क्रान्ती कुमार रावत
लक्ष्मी प्रसादी रावत
ग्राम रतियामऊ गोसाईगंज लखनऊ
कृषि

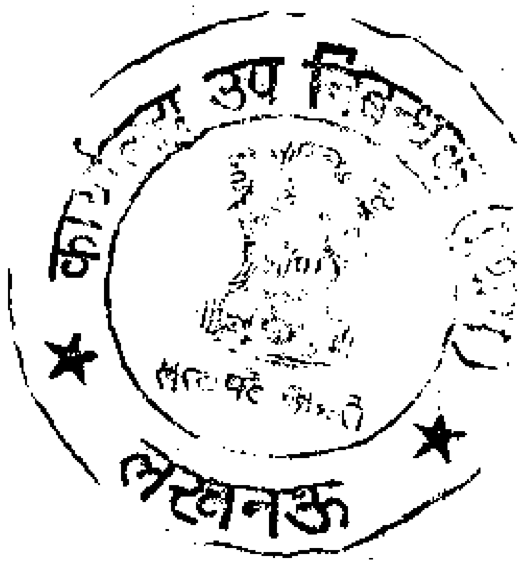

नक्शा नजरी

ग्राम : हुसनपुर खेवली

खसरा संख्या– 268, 269, 320, 321, [illegible]

विक्रेता : सुखलाल पु० बाकी नि० हुसनपुर खेवली

क्रेता : क्रान्ती पु० लक्ष्मी रावत निवासी इतियाथक औभाईगंज लखनऊ

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

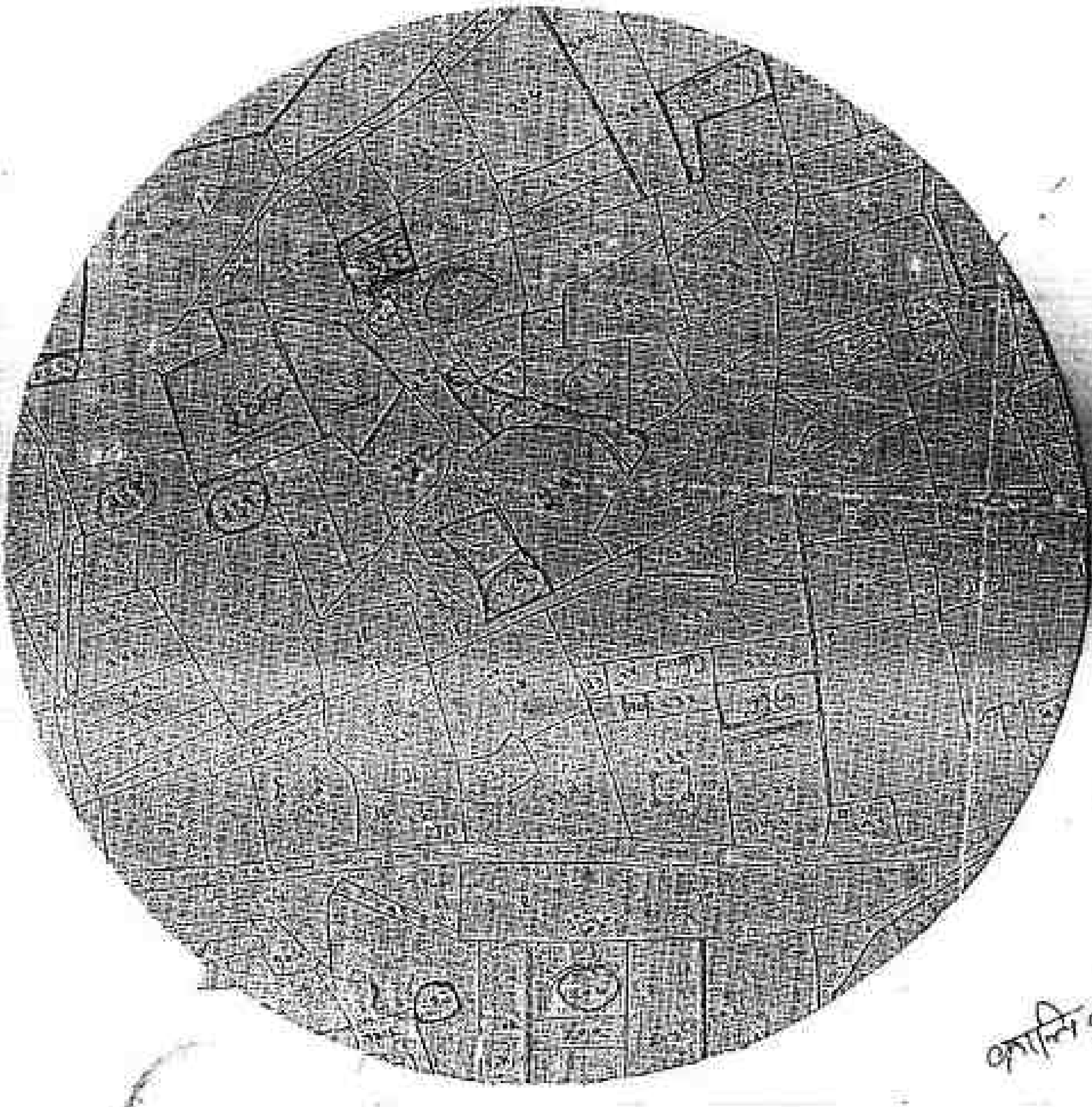

कान्ति कुमारी

सुखलाल

आज दिनांक 22/01/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8068

पृष्ठ सं 363 से 392 पर क्रमांक 737

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस के शुक्ला

उप निबन्धक (पश्चिम)

लखनऊ

[illegible]/2007